

कार्यालय — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक — 38

दिनांक — 24.11.2025

—: संशोधित कार्यालय आदेश :-

मैं सुरेन्द्र चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक—Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—36 दिनांक—01.11.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए माह नवम्बर, 2025 में दिनांक 30.11.2025 को पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत की गई पीठासीन अधिकारी श्रीमती रजनी यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर की ड्यूटी को निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायालय की पीठासीन अधिकारी को आवश्यक दायित्व कार्य यथा रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मार्ग जाँच एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर (समय 11:00 ए.एम. से 01:30 पी.एम. तक) तथा उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन व धारा 52—ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ —

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	30.11.2025	सुश्री मीनाक्षी खत्री	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	7976795490

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपर्युक्तानुसार दायित्व कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट — (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

दिनांक — 24.11.2025

क्रमांक —//

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

01. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
04. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
05. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
07. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
08. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
09. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।